राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

संशोधित सं0सं0–08 / नियम संशोधन–07–03 / 2017 -2264 (अनु0)

प्रेषक,

मुकेश प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना, दिनांक - 27-09-2018

विषयः– बिहार भूमि सुधार(अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम) 1961 की धारा–16(3) निरसन (Repeal) हेतु प्रस्ताव।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित प्रस्ताव हेतु संलेख प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित धारा के प्रभाव में आने से बिहार राज्य का लोक जीवन किस हद तक प्रभावित हुआ है एवं इस धारा के लागू होने से आम जनता को वास्तविक रूप से लाभ पहुँचा है या हानि इस संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित की जाय। साथ ही अनुरोध है कि भूमि सुधार से संबंधित वादो के निष्पादन के अपने कार्य अनुभवों के आलोक में उक्त धारा को विलोपित करने के संबंध में अपना सुविचारित मंतव्य भी समर्पित करना सुनिश्चित की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

27/09/18

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

गोपनीय
मुहरबंद

मंत्रिपरिषद् हेतु संलेख

विषय – बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2017 की स्वीकृति।

स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार के संबंध में जमींदारी प्रथा उन्मूलन तथा भूमि से जुड़े संसाधनों के हक पर व्यापक सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया और उसको देखते हुए तथा संविधान के निहित व्यवस्था को पूरा करने के उदेश्य से राज्य सरकार ने भूमि सुधार संबंधी कई अधिनियम बनाये जिसमें से एक अधिनियम "बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961" था।

2. इस अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि जमींदारों तथा बड़े भूमिपतियों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि को अधिशेष घोषित कर उन्हें भूमिहीन परिवारों में बॉटा जाय। इसी क्रम में यह भी व्यवस्था रखी गयी कि खेतिहर भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े ना हों ताकि रैयत अत्याधुनिक तरीकों से बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कृषि कार्य कर सके। इसको सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा--16(3) में यह प्रावधान किया गया कि कोई रैयत यदि अपनी भूमि या उसका कोई अंश बेचना चाहता है तो उसके सीमावर्ती रैयत अथवा सह–हिस्सेदार को प्राथमिकता मिलेगी।

3. उक्त धारा को धारा प्रयोग के तौर पर Pre-emption भी कहा जाता है और इसी नाम से इस धारा के तहत सभी राजस्व न्यायालयों में यह शब्दावली प्रचलित है।

4. उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद आज लगभग 57 वर्ष बीत चुके है। Pre-emption संबंधी वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से लेकर राजस्व पर्षद तक निपटाये जाते हैं। लगभग 50 वर्ष से प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह महसूस किया जा रहा है कि Pre-emption का धारा–16(3) वर्त्तमान परिवेश में अब redundant हो चुकी है और इस धारा का दुरूपयोग हो रहा है और राजस्व न्यायालयों में वादों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है। अतः सरकार का यह मानना है कि धारा–16(3) को निरसित (Repeal) किया जाय। ऐसा मानने के निम्नलिखित कारण हैः–

(क) यह देखा गया है कि Pre-emption संबंधी वादों की संख्या, भू–हदबंदी के वादो से ज्यादा बढ़ गई है, जबकि 1961 के अधिनियम का मूल ध्येय भू–हदबंदी था। अतः अब भू–हदबंदी अधिनियम में मूल उद्श्य के तहत कम मुकदमे दायर हो रहे हैं जबकि Pre-emption के वादों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

(ख) Pre-emption संबंधी मुकदमें 1 डिसमिल या उससे भी कम भूमि पर भी किये जा रहें है, जिसका कोई औचित्य नहीं है।

(ग) आंकड़ों के हिसाब से भू–हदबंदी के मुकदमों के मुकाबले Pre-emption संबंधी वादों की संख्या 3 गुणा से भी अधिक है।

(घ) यह देखा गया है कि लोग अपने पड़ोसी, पड़ोसी रैयत अथवा रिश्तेदारों को परेशान करने की नीयत से भी Pre-emption संबंधी वाद कर रहे हैं जिससे राजस्व न्यायालय का कार्य बोझ अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है।

(ङ) अधिकांशतः ये मुकदमें आवासीय क्षेत्रों को लेकर ज्यादा हो रहे है। पिछले 50 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों का भी व्यवसायीकरण हुआ है और गाँवों की आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ने से गाँव की रिहायशी भूमि के मूल्य में काफी वृद्धि हुई और काफी कृषि योग्य भूमि का रूप आवासीय कार्य हेतु परिवर्त्तित हुआ है।

(च) अब Pre-emption के मुकदमें इतनी ज्यादा संवेदना से लड़े जाते है कि काफी संख्या में मुकदमें सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं। आम तौर पर इन वादों में जिस भूमि के लिए मुकदमें इस हद तक लड़े जाते हैं वो मात्र कुछ डिसमिल की होती है और अकसर ग्रामीण क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में होती है।

5. उपर्युक्त कारणों से यह देखा जा रहा है कि Pre-emption की धारा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मुकदमों में मात्र बढ़ोतरी हो रही है, जिसका भू–हदबंदी अधिनियम के मौलिक उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है।

6. **अधिनियम, 1961 की धारा–16 में संशोधन**।–(1) उक्त अधिनियम, 1961 की धारा–16 की उप धारा–(3) एतदद्वारा निरसित की जाती है।

(2) उक्त अधिनिमय की धारा–16 में निम्नलिखित नई उप धारा–(4) जोड़ी जायेगीः–

"(4)(i) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के पश्चात्, राज्य सरकार, राजस्व पर्षद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामलें अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेंगी।

(ii) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के अनुशरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि, उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्त्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।"

7. उपर्युक्त के आलोक में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2017 (हिन्दी अनुलग्नक–1 एवं अंग्रेजी अनुलग्नक–2) प्रारूप का गठन किया गया है, जिसपर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

8. प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप में माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं संलेख में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं संशोधन विधेयक प्रारूप विधि विभाग से विधिक्षीत है।

11. प्रस्ताव एवं संलेख में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

12. उपर्युक्त कंडिका–7 के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08 / (नियम संशोधन)–07–03–2017– 899 (8) / रा0, पटना, दिनांक– 02/11/17

प्रतिलिपिः–संलेख की 45 (पैंतालीस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक की कार्यावली में सम्मिलित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को अग्रसारित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

अनु0 -I

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2017

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथ अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा;

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम, 1961 की धारा–16 में संशोधन।–(1) उक्त अधिनियम, 1961 की धारा–16 की उप धारा–(3) एतद द्वारा निरसित की जाती है।

(2) उक्त अधिनिमय की धारा–16 में निम्नलिखित नई उप धारा–(4) जोड़ी जायेगी:–

''(4)(i) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के पश्चात्, राज्य सरकार, राजस्व पर्षद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामलें अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेंगी।

(ii) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के अनुशरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि, उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्त्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।''

अनु - 2

The Bihar Land Reform (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Bill, 2017

A

Bill

To amend The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land), 1961

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, Extent and Commencement.**-(1) This Act may be called The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 2017;

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar;

(3) It shall come into force immediately.

2. Amendment in Section-16 of the Act, 1961.-(1) Sub section (3) of Section-16 of the said Act, 1961 is hereby repealed.

(2) **In the Section-16 of the said Act, The following new sub section-(4) shall be added:-**

"(4)(i) After the repeal of sub section-(3) of Section-16 of this Act, all cases or proceedings pending before the State Government, the Board of Revenue, the Bihar Land Tribunal, the Divisional Commissioner, the Collector, the Additional Collector, the Deputy Collector Land Reforms or in any other Court, shall be deemed to be abated.

(ii) Pursuant to the repeal of sub section-(3) of Section-16 of this Act, any purchase money together with a sum equal to 10% thereof, already legally deposited shall be refunded, without any interest, to the depositor."

बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण अधिशेष भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017 का औचित्य

क्र0	धारा सं0	वर्त्तमान अधिनियम का प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	16(3)	बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के तहत यह प्रावधान है कि– (i) किसी भूमि का अन्तरण किसी लगी कई भूमि के सह–अंशधारी या रैयत से भिन्न किसी व्यक्ति से किया जाय तो अंतरक का कोई सह–अंशधारी या अंतरित भूमि से लगी भूमि धारित करने वाला कोई रैयत, अंतरण के दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन महीनों के भीतर उक्त विलेख में अंतर्विष्ट बंधेजों और शर्त्तों पर भूमि को अपने नाम पर अंतरित किए जाने के लिए कलक्टर के पास विहित रीति से आवेदन करने का हकदार होगा; परन्तु कलक्टर द्वारा तबतक ऐसा आवेदन ग्रहण न किया जायेगा जब तक कि उक्त अवधि के भीतर क्रय–धन के साथ–साथ उसके दर प्रतिशत के बराबर की राशि विहित रीति से जमा न कर दी जाय। (ii) ऐसी राशि जमा कर दी जाने पर सह–अंशधारी या रैयत भूमि का कब्जा प्राप्त कराये जाने का हकदार होगा भेले ही खंड (i) के अधीन आवेदन विनिश्चत के लिए लंबित हो; परन्तु जहाँ आवेदन नामंजूर कर दिया जाय वहाँ, यथास्थिति, सह–अंशधारी या रैयत भूमि से बेदखल कर दिया जायगा और उसका कब्जा अंतरिती को दिला दिया जायगा और अंतरिती खंड (i) के अधीन की गयी जमा में से क्रयधन के दस प्रतिशत के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। (iii) यदि आवेदन मंजूर कर दिया जाय, तो कलक्टर आदेश द्वारा, अंतरिती को, आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अंतरण का दस्तावेज निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत कर भूमि को आवेदक के पक्ष में हस्तान्तरित कर देने का निदेश देगा और, यदि वह निदेश के अनुपालन में उपेक्षा या इन्कार करे, तो सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम–35 के आदेश में विहित प्रक्रिया, जहाँ तक हो सके, अपनायी जायेगी।	अधिनियम, 1961 की धारा–16 में संशोधन।–(1) उक्त अधिनियम, 1961 की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन का प्रस्ताव है। अधिनिमय की धारा–16 में निम्नलिखित नई उप धारा–(4) जोड़ने का प्रस्ताव है:– "(4)(i) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के पश्चात्, राज्य सरकार, राजस्व पर्षद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामलें अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेंगी। (ii) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के अनुशरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि, उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्त्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।"	

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव